

ऑटो रिटायरिंग विभाग, कोलकाता  
कोलकाता (जयपुर)

दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

दफतर ही।  
होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाबा दाखिल  
जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार  
है। अतः प्रोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की  
अग्रिम कार्यवाही की जाने का कोई आश्चित्य प्रतीत नहीं होता  
मन्सूख हो गया है तो प्रस्ताव प्रकरण में किसी प्रकार की  
आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही  
में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन  
3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष  
न्यायालय राजस्थान बैंक जयपुर द्वारा रिटिडेशन में  
अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च  
विवाहित भूमि से सम्बन्धित रेसिडेंस के हक में किया गया  
किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रोकार सरकार ने उक्त  
मू-आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर  
प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवाहित भूमि का आवंटित  
रेसिडेंस को मू-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि  
अवलीकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर  
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का  
हमने प्रोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छया प्रति आदि रिकॉर्ड दस्तावेजात पेश किये।  
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की  
का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में  
सम्बन्धित मू-आवंटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण  
निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्तित आराजी से  
राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित  
पिडेशन नम्बर 3374/2005 व उतबानी छोट एवं अन्य बनाम  
उच्च न्यायालय राजस्थान बैंक जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट  
प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय  
(नायब लडशीलदार कोलकाता) ने उपस्थित होकर प्रस्ताव  
होल्डर लडशीलदार कोलकाता की ओर से प्रोकार सरकार  
पत्रावली पेश कृपी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप से